रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230912 CG-DL-E-02112021-230912

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4228] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 2021/कार्तिक 11, 1943 No. 4228] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2021/KARTIKA 11, 1943

#### कोयला मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली. 2 नवम्बर. 2021

का.आ. 4589(अ).—जबिक केंद्रीय सरकार, खान और खिनज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8, उप-धारा (5) के माध्यम से किसी भी पट्टाधारी, जहां कोयला या लिग्नाइट का उपयोग कैप्टिव उद्देश्य के लिए किया जाता है, को अतिरिक्त राशि के भुगतान पर और केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई रीति के अनुसार खान से लिंक्ड अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात ऐसे कोयला या लिग्नाइट को एक वर्ष में उत्पादित कुल कोयले या लिग्नाइट के पचास प्रतिशत तक बेचने की अनुमित देती है;

जबिक धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने खिनज रियायत नियम,1960 के नियम 27क में इस उद्देश्य के लिए रीति निर्धारित की है;

अब, अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (5) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्न तालिका के अनुसार कोयले के प्रतिशत को एतद्द्वारा बढ़ाती है, जिसे एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा इन खानों से लिंक्ड अपने अंत्य उपयोग संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात् निर्धारित रीति में और खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27क में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2026 तक तालाबीरा II और III ओसीपी से उत्पादित कोयले के 75 प्रतिशत तक बेचा जा सकता है।

वर्ष	अनुमानित कोयला उत्पादन	ईयूपी आवश्यकता	बिक्री के लिए अनुमोदित कोयले की शेष मात्रा
2021-22	10	2.5	7.5 (75%)
2022-23	20	5.0	15 (75%)

6370 GI/2021 (1)

2023-24	20	5.0	15 (75%)
2024-25	20	5.0	15 (75%)
2025-26	20	5.0	15 (75%)

(सभी मात्राएं मिलियन टन में)

यह प्रति वर्ष समीक्षा के अध्यधीन है।

[फा. सं. सीबीए2-13011/9/2018-सीबीए2] बी.पी.पति, संयक्त सचिव

# MINISTRY OF COAL NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2021

**S.O.** 4589(E).—Whereas the Central Government, vide Section 8, sub-section (5) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) allows any lessee, where coal or lignite is used for captive purpose, to sell such coal or lignite up to fifty per cent. of the total coal or lignite produced in a year, on payment of an additional amount and after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine in such manner as may be prescribed by the Central Government;

Whereas in exercise of powers conferred by Section 13, the Government has prescribed the manner for this purpose in rule 27A of Mineral Concession Rules, 1960;

Now, in exercise of powers conferred by proviso to sub-section (5) of Section 8 of the Act, the Central Government hereby increases the percentage of coal, as tabulated below, that may be sold by NLC India Limited, up to 75 percent of coal produced from Talabira II and III OCP up to 31<sup>st</sup> March, 2026, after meeting the requirement of their end use plants linked with these mines, in the manner prescribed and in observance of conditions indicated in rule 27A of Mineral Concession Rules, 1960.

Year	Estimated coal production	EUP requirement	Balance quantity of coal approved for sale
2021-22	10	2.5	7.5 (75%)
2022-23	20	5.0	15 ( 75%)
2023-24	20	5.0	15 ( 75%)
2024-25	20	5.0	15 ( 75%)
2025-26	20	5.0	15 ( 75%)

(All quantities in million tonnes)

This is subject to review every year.

[F. No. CBA2-13011/9/2018-CBA2] B.P. PATI, Jt. Secy.